भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1436
02 अगस्त, 2024 को जवाब दिया

संधारणीय वस्त्र का उत्पादन और उपयोग

1436. श्री दिग्विजय सिंह:
श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों में घरेलू वस्त्र उद्योग द्वारा वर्ष-वार कितनी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न किया गया;

(ख) देश में संधारणीय वस्त्रों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) संधारणीय वस्त्रों के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार पर्यावरण अनुकूल और संधारणीय वस्त्रों के निर्माताओं को कोई राजसहायता प्रदान करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): घरेलू वस्त्र उद्योग द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर कोई केंद्रित जानकारी/डेटा नहीं है। तथापि, आवास और शहरी विकास मंत्रालय की 'नगरपालिका ठोस और तरल अपशिष्ट सर्कुलर अर्थव्यवस्था रिपोर्ट' (2022) के अनुसार, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के एक घटक के रूप में वस्त्र अपशिष्ट कुल शुष्क नगरपालिका अपशिष्ट का 15% है।

(ख) और (ग): वस्त्र मंत्रालय भारत में वस्त्र मूल्य श्रृंखला के लिए संधारणीयता पर विभिन्न उपाय कर रहा है, जो कि निम्न हैं:

- सतत उत्पादन मॉडल को अपनाने में सामना की जा रही समस्याओं और वर्तमान स्थिति का पता लगाने में हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने हेतु एक पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ईएसजी) टास्क फोर्स का गठन किया गया था।
- टेक्सटाइल वैल्यू चैन में टिकाउपन तथा सर्कुलेरिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पोस्ट कंज्यूमर टेक्सटाइल अपशिष्ट प्रबंधन पर एक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए वस्त्र समिति द्वारा नवी मुम्बई महानगर पालिका (एनएमएमसी), एसबीआई फाउंडेशन, आईडीएच इंडिया, टिस्सर कारीगर ट्रस्ट तथा दो औद्योगिक साझीदारों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- वस्त्र समिति (टीसी) के परामर्श से जीआईजेड युवाओं पर फोकस करते हुए पूरी दिल्ली के स्कूलों में अपनाई जाने वाली सतत प्रक्रियाओं के लिए 'सर्किल बैक' नाम से एक जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है।
- "वस्त्र क्षेत्र में स्थिरता और सर्कुलेरिटी को मुख्यधारा में लाना" पर एक जागरूकता अभियान के लिए यूएनईपी और वस्त्र समिति (टीसी) के बीच एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(घ): पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ परिधानों के विनिर्माताओं को कोई सब्सिडी प्रदान करने के लिए मंत्रालय में, वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

***